रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1988/कार्तिक 11, 1910
NO. 567] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 1988/KARTIKA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

का.आ. 1008(अ).—19 अक्तूबर, 1988 को वायुदूत का एफ-27 विमान बी.टी.डी.एम.सी. सिल्चर से गुवाहाटी के लिए उड़ान संख्या पी.एफ. 704 प्रचालित करते हुए गुवाहाटी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके परिणामस्वरूप (4 सदस्यों सहित) विमान में सवार 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

तथा केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उक्त दुर्घटना की परिस्थितियों की औपचारिक जांच करना युक्तियुक्त है;

और अब, वायुयान नियमावली के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के निर्देश देती है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उमेश बैनर्जी को नियुक्त करती है

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को :—

(1) श्री जे.डी. जेजीना,
ई-24, मस्जिद मोठ,
नई दिल्ली-110028

(2) कैप्टन एम.के. डावर,
निदेशक,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज,
जिला रायबरेली,
उत्तर प्रदेश।

(3) श्री बी. चिलप्पा
हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टैक्नालोजी,
मद्रास ।

उक्त जांच के अफसरों के रूप में नियुक्त करती है।

न्यायालय अपनी जांच पूरी करने के बाद 31 जनवरी, 1989 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा । न्यायालय का मुख्यालय कलकत्ता में होगा।

[संख्या एवी-15013/16/88-एस.एस.बी.]

बी. पट्टनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

New Delhi, the 1st November, 1988

NOTIFICATION

S.O. 1008(E). – Whereas, on 19th October, 1988 a Vayudoot F-27 aircraft VT-DMC while operating flight PF-704 from Silchar to Guwahati crashed near Guwahati resulting in the death of 34 persons (including 4 crew members) on board :

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances of the said accident.

And now, in exercise of the power conferred by the Rule 75 of the Aircraft Rules, the Central Government hereby directs that a formal investigation of the said accident be held.

The Central Government is further pleased to appoint Shri Justice Umesh Banerjee of the Calcutta High Court to hold the said investigation.

The Central Government is also pleased to appoint :

(i) Mr. J.D. Jejina,
E-24, Masjid Moth,
New Delhi-110028

(ii) Capt. N.K. Dawar,
Director,
Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi,
Fursatganj, Dist. Rai Bareilly,
U.P.

(iii) Mr. V. Chellappa,
Hindustan Institute of Engg. Technology,
Madras.

to act as assessors to the said investigation.

The Court will complete its inquiry and make it report to the Central Government by 31st January, 1989. The Headquarters of the Court will be at Calcutta.

[No. AV. 15013/16/88-SSV]

V. PATTANAYAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988